

झारखण्ड सरकार
भवन निर्माण विभाग

ज्ञाप संख्या- भ०नि०5-बजट(यो०)-552/21-422(M)/राँची, दिनांक-03-3-22

सेवा में,
कार्यपालक अभियंता,
भवन प्रमंडल, जमशेदपुर।

विषय :- वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूँजी परियोजना -01-कार्यालय भवन-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना-उपशीर्ष-39-कोर्ट भवन/ आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरेक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45- निर्माण कार्य (राज्यांश)-विपत्र कोड-03S40590179639000545 के अन्तर्गत निधि का आवंटन ।

आदेश:- उपर्युक्त व्यय शीर्ष के अंतर्गत निम्न सूची में उल्लिखित कार्य के सामने कॉलम-6 में अंकित राशि आवंटित की जाती है :-

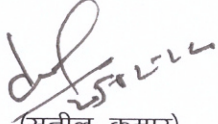
क्र० सं०	कार्य का नाम	प्रशासनिक स्वीकृत राशि	2020-21 तक कुल आवंटन/व्यय	2021-22 में पूर्व में आवंटन	2021-22 में वर्तमान आवंटन	2021-22 में कुल आवंटन
1	2	3	4	5	6	7
1	Construction of watch Tower (03 nos.) & raising of Height of Boudary wall of sub-divisional court, Ghatshila (स्वीकृत्यादेश सं०-321 (भ) दिनांक-26.10.2021)	24,01,300/-	1	-	12,00,000/- (राज्यांश)	12,00,000/- (राज्यांश)
2	E/R to Quarter no.-E/4 D type Civil Court campus, Sakchi, Jamshedpur (स्वीकृत्यादेश सं०-429 (भ) दिनांक-31.03.2021)	2,48,800/-	1	-	2,48,544/- (राज्यांश)	2,48,544/- (राज्यांश)
3	E/R to Quarter no.-E/6 D type Civil Court campus, Sakchi, Jamshedpur (स्वीकृत्यादेश सं०-429 (भ) दिनांक-31.03.2021)	2,47,600/-	1	-	2,47,594/- (राज्यांश)	2,47,594/- (राज्यांश)
4	Renovation of Rain water pipe and water storage Tank work in 40 Court (Civil Court) Building at Jamshedpur (स्वीकृत्यादेश सं०-344 (भ) दिनांक-29.10.2021)	2,48,800/-	1	-	2,48,534/- (राज्यांश)	2,48,534/- (राज्यांश)

5	Work of Roof Treatment of North side Civil Court (40 Court) Building at Jamshedpur (स्वीकृत्यादेश सं०-344 (भर) दिनांक-29.10.2021)	4,92,300/-	I	-	4,92,300/- (राज्यांश)	4,92,300/- (राज्यांश)
6	Work of Roof Treatment of West side Civil Court (40 Court) Building at Jamshedpur (स्वीकृत्यादेश सं०-344 (भर) दिनांक-29.10.2021)	4,94,200/-	I	-	4,94,200/- (राज्यांश)	4,94,200/- (राज्यांश)
7	E/R to District and session Judge Bungalow Garden at Dhalbhum club, Sakchi, Jamshedpur (स्वीकृत्यादेश सं०-344 (भर) दिनांक-29.10.2021)	2,28,400/-	I	-	2,28,400/- (राज्यांश)	2,28,400/- (राज्यांश)
कुल :-				-	31,59,572/- (एकतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ बहतर रु. मात्र)	31,59,572/- (एकतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ बहतर रु. मात्र)

- (2) आवंटित राशि व्यय शीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्यो पर पूँजी परिव्यय -01-कार्यालय भवन-796-जनजातीय क्षेत्रीय उप योजना-उपशीर्ष-39-कोर्ट भवन/ आवासीय भवन/कोर्ट परिसर में पुलिस बैरेक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि-विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण-45-निर्माण कार्य (राज्यांश)-विपत्र कोड-03S40590179639000545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में उपबंधित राशि से विकलनीय है।
- (3) आवंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561/वि० (2) दिनांक-17/04/98, वित्त विभाग के पत्रांक-1800/वि० दिनांक-15/07/03, पत्रांक-533/वि० दिनांक-03/03/04 एवं पत्रांक-1681/वि० दिनांक-10.06.15 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत एवं परिपत्र के आलोक में की जाय।
- (4) आवंटित राशि से अधिक अथवा अन्य मदों में व्यय किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाय।
- (5) आवंटित राशि की व्यय विवरणी प्रत्येक माह के 15 तारीख तक टी०भी० नं०, चेक नम्बर एवं तिथि के साथ महालेखाकार एवं विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाय।
- (6) इस राशि से किसी भी परिस्थिति में बिना पूर्वानुमति के सेल्फ चेक की निकासी नहीं की जाय।
- (7) कोषागार में प्रस्तुत किये जानेवाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष/उप शीर्ष/प्राथमिक ईकाई आदि की मुहर स्पष्ट रूप से अंकित किया जाय, ताकि महालेखाकार के कार्यालय में हिसाब ठीक से रखा जा सके।
- (8) आवंटित राशि का व्यय वित्तीय नियमावली भाग-1 के नियम 475 में अंकित निर्देश के आलोक में किया जाय। वित्तीय नियमावली/बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर निर्गत अनुदेशों का भी दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय।

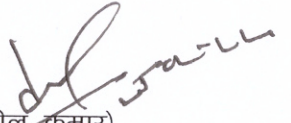
- (9) इसकी सूचना महालेखाकार, झारखण्ड, राँची/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा), झारखण्ड, राँची को दी जा रही है।
- (10) राशि की निकासी में बिहार कोषागार संहिता के नियम-300 का सख्ती से अनुपालन किया जाय अर्थात् तुरन्त भुगतान हेतु आवश्यक राशि से अधिक राशि की निकासी नहीं की जाय।
- (11) यह सुनिश्चित किया जाय कि बिना पूर्वानुमति के अनुज्ञेय सीमा से अधिक राशि का व्यय न हो।
- (12) लोक निर्माण संहिता में वर्णित प्रावधानों के अनुसार सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर इस योजना का कार्यान्वयन किया जाय। बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए कोई राशि इस योजना में व्यय नहीं किया जाय।
- (13) कार्य के निष्पादन में महालेखाकार द्वारा समय-समय पर उठाई गई आपत्तियाँ यथा टेंडर निष्पादन में विलम्ब, माइन्स विभाग के परिपत्र के आलोक में रायल्टी कटौती नहीं होना (बिना खनन विभाग के क्लीयरेन्स के दोगुना देय होगी) तथा गुणवत्ता की कमी इत्यादि की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। Quality Testing कर भुगतान हो एवं ऐसा प्रयास हो कि पुनः आपत्ति न आए।
- (14) सभी अभिलेखों को अंकेक्षण हेतु सुरक्षित रखा जाय। अंकेक्षण आपत्तियों का प्राथमिकता से अंकेक्षण के दौरान एवं प्रतिवेदन प्राप्त होने पर निष्पादन करते हुए उसे Drop कराने की कार्रवाई की जाय।
- (15) महालेखाकार/विभाग के निर्देशानुसार त्रैमासिक/वार्षिक लेखा का विभाग/महालेखाकार कार्यालय से मिलान कर त्रुटियों का निराकरण करना सुनिश्चित किया जाय।
- (16) संबंधित योजना की तकनीकी स्वीकृति की सूचना शीघ्र उपलब्ध करायी जाय।
- (17) कार्य योजना के विरुद्ध व्यय/भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि कार्यों की डुप्लीकेटिंग नहीं हो रही है। दोषी पाये जाने पर संबंधित कार्यपालक अभियंता से सम्बद्ध राशि वसूलनीय होगी।
- (18) कंडिका-1 के कॉलम-4 में अंकित राशि कार्यपालक अभियंता द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रतिवेदन के अनुसार है।
- (19) निर्देश दिया जाता है कि संबंधित कार्यालय प्रधान से संतुष्टी प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के पश्चात् ही संवेदक को अंतिम भुगतान करेंगे।
- (20) स्वीकृत योजना में विचलन होने पर सक्षम स्तर से स्वीकृत विस्तृत प्रतिवेदन के साथ राशि की मांग की जाय।
- (21) कार्यकारी एजेंसी किसी भी नवनिर्माण/जीर्णोद्धार/अनुरक्षण/मरम्मत/सुसज्जीकरण संबंधी योजना हेतु विभाग से आवंटन की मांग के पूर्व योजना से संबंधित विवरणी को MIS में प्रविष्ट करेंगे। तदोपरान्त ही विभागीय सत्यापन के पश्चात् राशि की विमुक्ति पर विचार किया जाएगा।
- (22) अनुरक्षण/मरम्मत/सुसज्जीकरण संबंधी मामलों में कार्यकारी एजेंसी को अभियंता प्रमुख के कार्यालय में प्राक्कलन भेजना आवश्यक होगा तथा प्रस्ताव/अध्याचन भेजते समय ही पूर्व में उपलब्ध करायी गई सामग्री का Stock Position व अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी देनी होगी तथा स्वीकृति के पश्चात् उपलब्ध कराये गये संसाधनों की Stock entry का भी दायित्व होगा।
- (23) मरम्मत/जीर्णोद्धार हेतु राशि की मांग के साथ कार्यपालक अभियंता यह प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेंगे कि उक्त भवन में विगत तीन वर्षों में समान प्रकृति का कार्य नहीं कराया गया है। साथ ही प्रस्ताव उपलब्ध कराने से पूर्व प्राक्कलन एवं प्राक्कलित राशि पर आवासीय/गैर आवासीय संबंधित नियंत्री प्रशासकीय की सहमति भी प्राप्त की जाय।

- (24) किसी भी परिस्थिति में बिना सक्षम प्राधिकार के अधियाचना के नवनिर्माण/जीर्णोद्धार/अभ्युदय/मरम्मत/सुसज्जीकरण का कार्य नहीं कराया जाय।
- (25) वर्तमान आवंटित राशि पूर्ण रूप से व्यय करना सुनिश्चित करेंगे।


(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव।

ज्ञापक :- भ०नि०५-बजट(यो०)-.....५२२(५७)/राँची, दिनांक:-.....०३-३-२२/

प्रतिलिपि :- महालेखाकार (लेखा एवं हक०), झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची/ प्रधान सचिव, वित्त विभाग/ उपायुक्त, जमशेदपुर/प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जमशेदपुर/कोषागार पदाधिकारी, जमशेदपुर कोषागार/मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग, राँची/अधीक्षक अभियन्ता, छोटानागपुर भवन अंचल, राँची/सचिव के प्रधान आप्त सचिव/अभियंता प्रमुख कोषांग/संयुक्त सचिव, कोषांग, भवन निर्माण विभाग, राँची/बजट प्रशाखा, भवन निर्माण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।


(सुनील कुमार)
सरकार के सचिव।



आवंटन आदेश

झारखंड सरकार

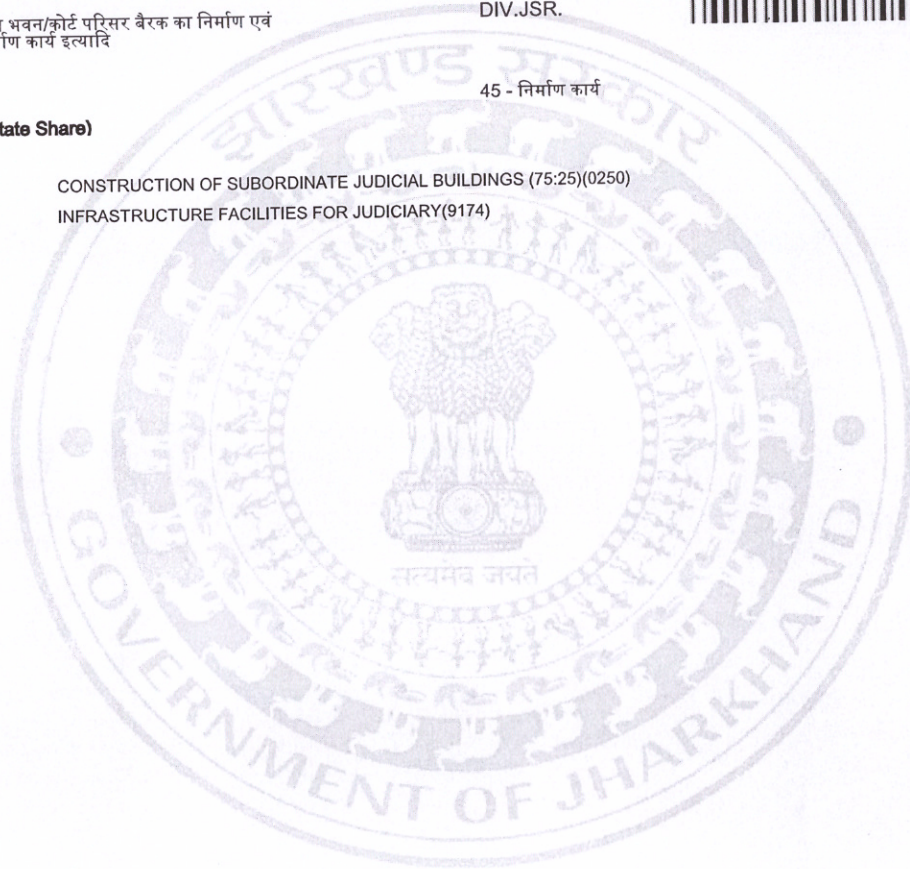
Building Construction Department

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है।

पत्र संख्या - 5-B (Y)-552/21/422(BH)

दिनांक - 08-Mar-2022

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 03 40590179639000545 4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय 01 - कार्यालय भवन 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना 39 - कोर्ट भवन/आवासीय भवन/कोर्ट परिसर बैरक का निर्माण एवं कोर्ट से संबंधित अन्य निर्माण कार्य इत्यादि 00-NA 05 - निर्माण Central Scheme (State Share)	85169	JSRBLD001 LALJIT RAM EXE.ENGG.BUILDING DIV.JSR. 45 - निर्माण कार्य	3,159,572.00 रुपये इकतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ बहत्तर
	State Scheme : Central Scheme :	CONSTRUCTION OF SUBORDINATE JUDICIAL BUILDINGS (75:25)(0250) INFRASTRUCTURE FACILITIES FOR JUDICIARY(9174)		



योग: रुपये इकतीस लाख उनसठ हजार पाँच सौ बहत्तर
क्रमिक योग:

3,159,572.00

(SUNIL KUMAR)
SECRETARY